

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से आरपीएससी-2016 में चयनोपरान्त व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) गृह विज्ञान वेतन पे मैट्रिक्स एल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां पूर्ववत् पूर्णतः अस्थाई एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीय नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में पूर्णतः अस्थाई (TEMPORARY) आधार पर नियुक्तियां प्रदान की गई थी। निम्नांकित प्राध्यापकों (स्कूल शिक्षा) को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (vi & vii) एवं अनुसूची 01 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 09 में अंकित दिनांक से वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स एल-12 पर नियमित वेतन एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं नियमित वेतन (वेतन स्थिरीकरण) की स्वीकृति निम्नांकित कार्मिकों के नियमितीकरण एवं स्थाईकरण का आधार नहीं होगी। उक्त स्वीकृति कार्मिक (क-2) विभाग के क्रमांक प. 7(2) कार्मिक/क-2/2015 पार्ट जयपुर, दिनांक 09.11.2020 के अनुसरण में जारी की गई है:-

क्र. स.	वर्ग	पुराना मेरिट क्रमांक	नया मेरिट क्रमांक	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SB,WE	-	0	DR SAVITA SINGH SMT HEERA BAI GATTANI GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NOKHA (211447) BIKANER	HOME SCIENCE	13-12-1978	28-10-2017	28-10-2019



(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-4/प्रो.टे/रजीगृ/SBC/2020-21
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 09/02/2021

- 1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
- 3 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 5 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
- 7 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत् ।
- 8 संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
- 9 निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर